

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0- 33/2021-22

विभुति प्रसाद झा बनाम सुबोध भगत

022


-: आदेश :-


प्रस्तुत वाद आवेदक विभुति प्रसाद झा, सा0-महागामा, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा कित्ताविरम्मरा नं0-591, जमाबंदी नं0-1/क, दाग नं0-13 के अन्दर कुल रकवा 00-02-00 धूर जमीन से विपक्षी सुबोध भगत, पे0-जवाहर भगत, सा0-लोहचिन्ता, थाना-बलबड्डा, अंचल-मेहरमा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तदनुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-2019/सा0 दिनांक-16.12.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया एवं उभय पक्षों द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण-पृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकनोंपरान्त प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षी का कोई संबंध नहीं रहने के कारण अवैध भूमि हस्तान्तरण प्रतीत होता है। अतः विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाता है।

अतः अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


20.08.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


20.08.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

S. C. Choudhary
Adv.
12.10.22
Uttam Kumar
Adv.
12/10/22